GOVERNMENT OF RAJASTHAN DEPARTMENT OF PERSONNEL (A- Gr.II)

NOTIFICATION

Jaipur, dated: 11.11.2010

No. F.5(1)DOP/A-II/2010

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules laying down the procedure for Special Selection and Special Conditions of Service for appointment of persons in the State Directorate of Revenue Intelligence, Rajasthan, namely:-

- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of persons in the State Directorate of Revenue Intelligence) Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force with immediate effect.
- 2. **Scope and Application.** These rules shall apply to the appointment of persons in the State Directorate of Revenue Intelligence (SDRI) of the Government.
- 3. *Definitions.* In these rules, unless the context otherwise requires:
 - (a) "Appointing Authority" means the Government in the Department of Finance or such other officer to whom the power may be delegated by the Government with or without any condition;
 - (b) "Committee" means the Committee referred to in rule 10;
 - (c) "Director General" means the Director General of the State Directorate of Revenue Intelligence, Rajasthan;

- (d) "Government" means the Government of Rajasthan;
- (e) "Record of Service" means the Annual Confidential Reports/Annual Performance Appraisal Reports, where maintenance of such record is prescribed and other relevant service record;
- (f) "State" means the State of Rajasthan;
- (g) "Schedule" means the Schedule appended to these rules; and
- (h) "Year" means the financial year.
- 4. *Interpretation.* Unless the context otherwise requires the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act VIII of 1955) shall apply for the interpretation of these Rules, as it applies for the interpretation of a Rajasthan Act.
- 5. *Composition, Nature and Strength of Posts.*—(1) There shall be three categories of posts as specified in Schedule-I to be held on tenure basis, or as the Government may sanction from time to time.
- (2) The strength of the posts of each category shall be such as may be sanctioned by the Government from time to time.

Provided that the Government may leave unfilled or hold in abeyance or abolish any post, without thereby entitling any person to any compensation.

- 6. **Determination of vacancies.**—The Appointing Authority shall determine as soon as possible after 1st April of every year, the number of vacancies anticipated to be filled in each category during the next twelve months or as and when such contingency arises.
- 7. **Tenure.**—(1) The posts enumerated in Schedule-I shall be held by an officer for a tenure ordinarily not exceeding three years which may be extended by the Appointing Authority for further term not exceeding one year at a time but the total tenure shall not exceed five years in any case.
- (2) All appointment to the posts as specified in Schedule-I shall, in the first instance, be on temporary transfer or deputation from the parent

Department/Service for a period of two years which may be extended for the period indicated by the Appointing Authority from time to time subject to the condition that such extension shall not be beyond the date of his/her retirement according to the condition of service of his/her parent Department service. The officer so appointed shall not be reverted to the parent cadre or permitted to go to any other post before completion of a tenure of two years. However, the Director General reserves the right to revert back any officer/employee so appointed under these rules before completion of such tenure period without assigning any reasons with the approval of Additional Chief Secretary / Principal Secretary/Secretary Incharge of the Finance Deptt.

(3) In case of reversion/transfer to parent department, the person so appointed shall not have any right to protection of Special Allowance or status held by him/her on the post in the State Directorate of Revenue Intelligence unless otherwise provided in these rules:

Provided that a person may on his/her will, resign or seek retirement according to the conditions of service of his/her parent Department which shall not confer upon him/her any right other than those ordinarily admissible under the Rajasthan Service Rules, 1951.

- 8. **Source of Selection.—**(1) Selection for appointment to the posts as specified in column 2 of Schedule-I shall be deemed to be on transfer from respective department.
- (2) Selection for appointment to the posts as specified in column 2 of Schedule-I after commencement of these rules shall be made on the recommendation of the Committee from amongst the persons mentioned in column 3 of Schedule-I who hold lien on the post or who have been appointed on regular basis on the post under the parent department of the Government of Rajasthan.
- 9. *Eligibility for Selection.* Only such persons shall be eligible for consideration for the various posts, who fulfill the conditions laid down in Schedule-I, on 1st of April of the year in which they are considered.

10. **Selection Committee.**— Selection to the posts enumerated in Schedule-I shall be made on the recommendation of the Committee consisting of the following, namely:-

(1)	Additional Chief Secretary / Principal Secretary to the Government in the Finance Department.	Chairman
(2)	Principal Secretary/Secretary to the Government in the concerned Department.	Member
(3)	Principal Secretary/Secretary to the Government in the Department of Personnel or his nominee not below the rank of Deputy Secretary.	Member
(4)	Secretary to the Government, Finance (Revenue) Department	Member
(5)	Director General, State Directorate of Revenue Intelligence	Member- Secretary

11. *Criteria for Selection.*—Selection shall be made by the Committee after an interview having regard to personality, character, integrity, previous record of service, past experience in vigilance, revenue collection and prevention of revenue leakage or any other criteria of selection which Committee deem necessary.

- 12. **Procedure for Selection.**—(1) As soon as it is decided that selection is to be made to fill a certain number of vacant posts specified in column 2 of Schedule-I from amongst the persons mentioned in column 3 of Schedule-I, the Director General or such other officer to whom he may direct for this purpose, shall send a circular to all concerned departments for inviting applications from all eligible persons by a specified date. The recommendations in respect of the persons who are eligible for selection to the post as specified in column 2 of Schedule-I under the provisions of these rules along with the Annual Confidential Reports/Annual Performance Appraisal Reports Dossiers and other Service record of the persons whose names are included in the list shall be forwarded by the concerned Departments to the Director General.
- (2) On receipt of recommendations under sub-rule (1) above, the Director General or the officer nominated by him, shall prepare a list of all the eligible candidates and shall place the same, along with the Annual Confidential Reports/Annual Performance Appraisal Reports dossiers and

other Service record of the candidates whose names are included in the list, before the Committee.

(3) The Selection Committee shall select candidates equal to the number of vacancies likely to be filled in, in order of their merit and shall prepare a list containing names of the persons found suitable:

Provided that the Committee may, if suitable persons are available, keep on reserve list more candidates whose number shall not exceed 50% of the vacancies determined. The names of such candidates may be considered for appointment if such vacancies actually occur within six months from the date of selection.

- (4) List prepared by the Selection Committee under sub-rule (3) above shall be sent to the Appointing Authority together with Annual Confidential Reports/Annual Performance Appraisal Reports and other service records of all the candidates included in the list as also of those not selected, if any.
- 13. *Order for tenure posting.* Order for tenure posting to the post as specified in column 2 of Schedule-I shall be made from amongst the persons included in the list prepared under sub-rule (3) of rule 12 by the Appointing Authority in the order of merit.
- 14. Pay and other Conditions.—(1) The scale of pay and initial pay admissible to the post as specified in Column 2 of Schedule-I and other conditions relating to increase in pay on promotion in the parent cadre and retirement benefits shall be as laid down in Schedule-II and shall be such as may be sanctioned by the Government with the concurrence of the Finance Department from time to time.
- (2) Except as provided in these rules other service conditions to the post as specified in column 2 of Schedule-I shall be regulated by other rules applicable to the employees of the State Government made by the appropriate authority under the proviso to Article 309 of the Constitution of India and for the time being in force.

- 15. Induction of exceptionally deserving persons.
 Notwithstanding anything contained in these rules, the Committee may propose induction of any person for appointment in State Directorate of Revenue Intelligence in exceptionally deserving cases for reasons to be recorded in writing.
- 16. Removal of doubts.—If any doubt arises relating to the application, interpretation and scope of these rules, it shall be referred to the Government in the Department of Personnel whose decision thereon shall be final.
- 17. Repeal and Saving.—All orders in relation to matters covered by these rules and in force immediately before commencement of these rules are hereby repealed.

Provided that any action taken under the orders so superseded shall be deemed to have been taken under the provisions of these rules.

SCHEDULE - I

S.No.	Name of the Post	Eligibility	Minimum Experience
1	2	3	4
		STATE SERVICE	
1.	Additional Director	Additional Commissioner, Rajasthan	
	(Commercial Intelligence &	Commercial Taxes Service (RCTS) G.P	
	Policy Analysis)	21	
2.	Analyst-cum-Programmer	Analyst-cum-Programmer of Rajasthan	
		State Computer Service.	
3.	Revenue Intelligence Officer		
	(a) Commercial Taxes	Officers of Rajasthan Commercial Taxes	Minimum 5 years'
		Service (RCTS)- G.P. 13,16,17 and 20	experience
	(b) Transport	Officers holding post of Rajasthan	Minimum 5 years'
		Transport Service- G.P. 13,15,17 and 21	experience
	(c) Excise	Officers holding post of Rajasthan Excise	Minimum 5 years'
,		Service.	experience
		General Branch and Preventive Branch	
		G.P. 13,16 and 17	
	(d) Mining	Officers holding post of Rajasthan State	Minimum 5 years'
		Mines & Geological Service- G.P. 15,16,17	experience
		and 20	
	(e) Other Services	Officers of Other State Services G.P. upto	Minimum 5 years'
		20	experience
4.	Research Officer	Officers of Economics and Statistical	Minimum 5 years'
		Service and Computer Services GP up to	experience
		17.	
5.	Private Secretary	Persons holding the post of Private	Minimum 5 years'
		Secretary in Secretariat.	experience

		SUBORDINATE SERVICE	
1.	Revenue Intelligence Officer	Officers of Rajasthan Tehsildar Service.	Minimum 5 years'
		G.P. 12 and 13	experience
2.	Accountant	Person from Rajasthan Subordinate	Minimum 5 years'
		Account Service.	experience
3.	Programmer	Person from Rajasthan Computer	Minimum 5 years'
		Subordinate Service.	experience
4.	Informatics Assistant (Data	Person from Rajasthan Computer	Minimum 5 years'
	Entry Operator)	Subordinate Service.	experience

S.No.	Name of the Post	Eligibility	Minimum Experience
1	2	3	4
		MINISTRIAL SERVICE	<u> </u>
1.	Private Secretary	Persons holding the post of Private Secretary in any Department.	Minimum 5 years' experience
2.	Personal Assistant	Persons holding the post of Personal Assistant in Secretariat or Any Department.	Minimum 5 years' experience

SCHEDULE - II

(See Rule 14)

Conditions of Pay, Promotion and other Conditions of Service

- 1. **Scale of Pay:** On appointment to the post mentioned in Schedule-I, the Officer / Official shall draw the same pay and the same grade pay, which he / she was drawing immediately before appointment (in the substantive or officiating capacity) in the Running Pay Band with Grade Pay prescribed for the existing post. The next date of increment shall remain unchanged.
- 2. **Special Allowance:** All officers appointed on the posts mentioned in column 2 of Schedule-I, shall be paid special allowance at the rate of 15% of the basic pay during their tenure in the State Directorate of Revenue Intelligence.
- 3. **Promotion in the Parent Cadre:** As soon as the person is promoted in his parent cadre on a higher post, he shall be reverted back to the parent department immediately unless his / her retention on the promoted post is approved by the Appointing Authority under these rules.

4. Pension, Provident Fund etc:

- (1) If the persons concerned retires while holding the post under the provisions of these rules, his / her emoluments for the purpose of calculating Pension, Gratuity etc. under the provisions of Rule 45 of Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, as the case may be, shall be taken at the rates what he / she would have been entitled to had he / she not been appointed in the State Directorate of Revenue Intelligence under these rules.
- (2) If a person is member of Rajasthan Civil Services (Contributory Pension) Rules, 2005, he shall continue to subscribe to the Scheme on the basis of pay which he should have drawn had he not been appointed under these rules.

By Order and in the name of the Governor,

(Nalini Kathotia)

Deputy Secretary to the Government

राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ**5(1)**डीओपी/ए--II/2010

जयपुर, दिनांकः ।/·//·²⁰/0

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन की प्रक्रिया और सेवा की विशेष शर्ते अधिकथित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंम.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में व्यक्तियों की नियुवित्त के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2010 है।
 - (2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- 2. विस्तार और लागू होना.— ये नियम सरकार के राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय (रा.रा.आ.नि.) में व्यक्तियों की नियुक्ति पर लागू होंगे।
 - 3. परिभाषाएं.— जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,—
 - (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सरकार का वित्त विभाग या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे सरकार द्वारा यह शक्ति किसी शर्त के साथ या उसके बिना प्रत्यायोजित की जाये, अभिप्रेत है;
 - (ख) "समिति" से नियम 10 में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;
 - (ग) ''महानिदेशक'' से राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान का महानिदेशक अभिप्रेत हैं:

- (घ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;
- (ङ) "सेवा अभिलेख" से वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन / वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन, जहां ऐसा अभिलेख रखा जाना विहित है, और अन्य सुसंगत सेवा अभिलेख अभिप्रेत है;
- (च) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;
- (छ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; और
- (ज) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।
- 4. निर्वचन.— जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
- 5. पदों की संरचना, स्वरूप और संख्या.— (1) अनुसूची—I में यथाविनिर्दिष्ट पदों के तीन प्रवर्ग होंगे जो सेवाविध आधार पर धारित किये जायेंगे या जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर स्वीकृत किया जाये।
- (2) प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय—समय पर स्वीकृत की जायेः

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी पद को खाली या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त कर सकेगी।

6. रिक्तियों का अवधारण.— नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, आगामी बारह मास या जब कभी भी ऐसी आकरिमकता पैदा हो, प्रत्येक प्रवर्ग में भरी जाने के लिए प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

- 7. सेवावधि.— (1) अनुसूची—I में प्रगणित पद किसी अधिकारी द्वारा सामान्यतः तीन वर्ष से अन्यून की सेवावधि के लिए धारित किया जायेगा जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक सभय पर एक वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकेगा किन्तु किसी भी दशा में कुल सेवावधि पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी।
- (2) अनुसूची—I में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर समस्त नियुक्तियां प्रथम बार मूल विभाग / सेवा से अस्थायी स्थानांतरण पर या प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की कालाविध के लिए की जायेंगी जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर उपदर्शित कालाविध के लिए इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसा सेवा विस्तार उसके मूल विभाग की सेवा की शर्तों के अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे का नहीं होगा, बढ़ाया जा सकेगा। इस प्रकार नियुक्त अधिकारी को दो वर्ष की सेवाविध की समाप्ति के पूर्व मूल संवर्ग में प्रतिवर्तित या किसी अन्य पद पर जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकेगा। तथापि, महानिदेशक, इन नियमों के अधीन इस प्रकार नियुक्त किसी अधिकारी / कर्मचारी की ऐसी सेवाविध की समाप्ति के पूर्व कोई कारण समनुदेशित किये बिना वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सिवव / प्रमुख शासन सिवव / प्रभारी सिवव के अनुमोदन से प्रतिवर्तित करने का अधिकार आरक्षित रखता है।
- (3) मूल विभाग में प्रतिवर्तन/स्थानांतरण के मामले भें इस प्रकार नियुक्त किसी व्यक्ति को, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में के किसी पद पर विशेष भत्ते के या उसके द्वारा धारित प्रास्थिति के जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, संरक्षण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा:

परन्तु कोई व्यक्ति अपने मूल विभाग की सेवा शर्तों के अनुसार अपनी इन्छा से त्यागपत्र दे सकेगा या सेवानिवृत्ति की मांग कर सकेगा जो उसे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन साधारणतः अनुज्ञेय से भिन्न कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

8. चयन का स्रोत.— (1) अनुसूची—I के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन संबंधित विभाग से स्थानांतरण पर समझा जायेगा।

- (2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् अनुसूची—I के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन, समिति की सिफारिश पर अनुसूची—I के स्तम्भ संख्या 3 में उल्लिखित व्यक्तियों, जो राजस्थान सरकार के मूल विभाग के अधीन किसी पद पर धारणाधिकार रखते हैं या किसी पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किये गये हैं, में से किया जायेगा।
- 9. चयन के लिए पात्रता.— केवल ऐसे व्यक्ति विभिन्न पदों के लिए विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे जो उस वर्ष, जिसमें उन पर विचार किया जाये, के अप्रैल मास की पहली तारीख को अनुसूची—1 में अधिकथित शर्ते पूरी करते हों।
- 10. चयन समिति.— अनुसूची—I में प्रगणित पदों पर चयन निम्नलिखित से गठित समिति की सिफारिश पर किया जायेगा, अर्थात् :—
- (1) वित्तं विभागं के अतिरिक्तं मुख्यं सचिव / अध्यक्ष प्रमुख शासन राचिव।
- (2) संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव / शासन सदस्य सचिव।
- (3) कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव / शासन सदस्य सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव से अनिम्न रैंक का हो।
- (4) शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग। सदस्य
- (5) महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय। सदस्य-सचिव
- 11. चयन के लिए कसौटी.— समिति द्वारा चयन व्यक्तित्व, चरित्र, सत्यनिष्ठा, सेवा के पूर्व अभिलेख, सर्तकता, राजस्व संग्रहण और राजस्व छीजत के निवारण में पूर्व अनुभव या चयन का कोई अन्य मापदण्ड जो समिति आवश्यक समझे, को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के पश्चात् किया जायेगा।

- 12. चयन के लिए प्रक्रिया.— ज्योंही यह विनिश्चय किया जाये कि अनुसूची—I के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट कतिपय रिक्त पदों को अनुसूची-I के स्तम्भ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों में से भरने के लिए चयन किया जाना है त्योंही महानिदेशक या ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे वह इस प्रयोजन के लिए निदिष्ट करें, समस्त संबंधित विभागों को समस्त पात्र व्यक्तियों से विनिर्दिष्ट तारीख तक आवेदन आमंत्रित करने के लिए परिपत्र मेंजेगा। ऐसे व्यक्तियों, जो इन नियमों के उपबंधों के अधीन अनुसूची—I के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पद पर चयन के लिए पात्र हैं, के संबंध में सिफारिशों के साथ ऐसे व्यक्तियों के जिनके नाम सूची में सिम्मिलित किये गये हैं, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन /वार्षिक कार्य—मूल्यांकन प्रतिवेदन डोसियर संबंधित विभागों द्वारा महानिदेशक को अग्रेषित किये जायेंगे।
- (2) उपर्युक्त उप—ितयम (1) के अधीन सिफारिशों की प्राप्ति पर, महानिदेशक या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी समस्त पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और इसे उन अभ्यर्थियों के, जिनके नाम सूची में सिमालित हैं, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों / वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन डोसियरों और अन्य सेवा अभिलेख के साथ सिति के समक्ष रखेगा।
- (3) चयन सिमिति, भरी जाने वाली संभाव्य रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का, उनके योग्यता क्रम में चयन करेगी और उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के नाम अंतर्विष्ट करने वाली एक सूची तैयार करेगी:

परन्तु समिति, यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हों, आरक्षित सूची में अधिक अभ्यर्थियों के नाम रख सकेगी जिनकी संख्या अवधारित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के नागों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा यदि ऐसी रिक्तियां वस्तुतः चयन की तारीख से छः मास के भीतर हुई हों।

(4) उपर्युक्त उप—नियम (3) के अधीन चयन सिमति द्वारा तैयार की गयी सूची कों, सूची में सिम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों और जिनका चयन नहीं किया गया, यदि कोई हों, के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों / वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों और अन्य सेवा अभिलेख के साथ नियुक्ति प्राधिकारी को भेजा जायेगा।

- 13. सेवावधि पदस्थापन के आदेश.— अनुसूची—I के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पद पर सेवावधि पदस्थापन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम 12 के उप—नियम (3) के अधीन योग्यता क्रम में तैयार की गयी सूची में सम्मिलित व्यक्तियों में से किया जायेगा।
- 14. वेतन और अन्य शर्ते.— (1) अनुसूची—I के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पद पर अनुज्ञेय वेतनमान और प्रारंभिक वेतन और मूल संवर्ग में पदोन्नित पर वेतन में वृद्धि से संबंधित अन्य शर्ते और सेवानिवृत्ति फायदे अनुसूची—II में यथा अधिकथित होंगे और ऐसे होंगे जैसे सरकार द्वारा वित्त विभाग की सहमित से समय—समय पर मंजूर किये जायें।
- (2) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, अनुसूची—I के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पद की अन्य सेवा शर्ते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य नियमों द्वारा विनियमित की जायेंगी।
- 15. असाधारण रूप से योग्य व्यक्तियों को सम्मिलित करना.— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समिति लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से असाधारण रूप से उपयुक्त मामलों में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में किसी व्यक्ति की नियुक्ति का प्रस्ताव कर सकेगी।
- 16. शंकाओं का निराकरण.— यदि इन नियमों को लागू करने, उनके निर्वचन और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

17. निरसन और व्यावृत्ति.— इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों से संबंधित समस्त आदेश, जो इन नियमों का प्रारंभ होने के तुरंत पूर्व प्रवृत्त थे, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार अतिष्ठित आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

अनुसूची—I

क्रम सं.	पद का नाम	पात्रता	न्यूनतम अनुभव
1	2	3	4
		राज्य सेवा	
1.	अपर निदेशक (वाणिज्यिक आसूचना एवं नीति विश्लेषण)	अपर आयुक्त, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा (रा.वा.क.से.) ग्रेड वेतन21	
2.	विश्लेषक एवं प्रोग्रामर	राजस्थान राज्य कम्प्यूटर सेवा का विश्लेषक एवं प्रोग्रामर	
3.	राजस्व आसूचना अधिका	री	
	(क) वाणिज्यिक कर	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा (रा.वा.क. से.) – ग्रेड वेतन 13, 16, 17 एवं 20 के अधिकारी	न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव
	(ख) परिवहन	राजस्थान परिवहन सेवा— ग्रेड वेतन 13, 15, 17 एवं 21 का पद धारित करने वाले अधिकारी	न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव
	(ग) आबकारी	राजस्थान आबकारी सेवा सामान्य शाखा और निवारकं शाखा— ग्रेड वेतन 13, 16 और 17 का पद धारित करने वाले अधिकारी	न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव
N ₁	(घ) खनन	राजस्थान राज्य खान एवं भू—गर्भ सेवा— ग्रेड वेतन 15, 16, 17 एवं 20 का पद धारित करने वाले अधिकारी	न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव
	(ङ) अन्य सेवा	अन्य राज्य सेवाओं के ग्रेड वेतन 20 तक के अधिकारी	न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव
4.	अनुसंघान अधिकारी	आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा तथा कम्प्यूटर सेवा के ग्रेड वेतन 17 तक के अधिकारी	न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव
5.	निजी सचिव	सचिवालय में निजी सचिव का पद धारित करने वाले व्यक्ति	न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव
		अधीनस्थ सेवा	
1.	राजस्व आसूचना अधिकारी	राजस्थान तहसीलदार सेवा ग्रेड वेतन 12 एवं 13 के अधिकारी	न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव
2.	लेखाकार	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के व्यक्ति	न्यूनतम 5 वर्ष का

क्रम सं.	पद का नाम	पात्रता	न्यूनतम
			अनुभव
1	2	3	4
			अनुभव
3.	प्रोग्रामर	राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के	न्यूनतम 5
		व्यक्ति	वर्ष का
	~~~		अनुभव
4.	इन्फॉमेटिक्स सहायक	राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के	न्यूनतम 5
	(डाटा एन्ट्री ऑपरेटर)	व्यक्ति	वर्ष का
			अनुभव
		मंत्रालयिक सेवा	
1.	निजी सचिव	किसी विभाग में निजी सचिव का पद	न्यूनतम 5
		धारित करने वाले व्यक्ति	वर्ष का
			अनुभव
2.	निजी सहायक	सचिवालय या किसी अन्य विभाग में	न्यूनतम 5
		निजी सहायक का पद धारित करने वाले	वर्ष का
		व्यक्ति	अनुभव

### अनुसूची—II

#### (नियम 14 देखिए)

#### वेतन, पदोन्नति की शर्तें और सेवा की अन्य शर्तें

- 1. वेतनमान.— अनुसूची I में उल्लिखित पद पर नियुक्ति होने पर अधिकारी / पदधारी वहीं वेतन और वहीं ग्रेंड वेतन आहरित करेगा / करेगी जो वह नियुक्ति (अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में) के ठीक पूर्व विद्यमान पद के लिए विहित चालू वेतन बैंड और ग्रेंड वेतन में आहरित कर रहा था / रही थी। वेतनवृद्धि की अगली तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 2. विशेष भत्ता.— अनुसूची—I के रतम्भ 2 में उल्लिखित पदों पर नियुक्त समस्त अधिकारियों को राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में उनकी सेवावधि के दौरान मूल वेतन के 15% की दर से विशेष भत्ता संदत्त किया जायेगा।
- 3. मूल संवर्ग में पदोन्नति.— ज्योंही किसी व्यक्ति को उसके मूल संवर्ग में के उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाये त्योंही उसे मूल विभाग में प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा जब तक कि इन नियमों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके प्रतिधारण को अनुमोदित नहीं कर दिया जाए।
- 4. पेंशन, भविष्य निधि आदि.— (1) यदि संबंधित व्यक्ति इन नियमों के उपबंधों के अधीन पद धारित करने के दौरान सेवानिवृत्त हो जाये तो राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 45 के उपबंधों के अधीन पेंशन, उपदान आदि की संगणना के प्रयोजन के लिए उसकी परिलक्षियों का उन दरों पर हिसाब लगाया जायेगा जिसका वह हकदार

होता / होती यदि उसे इन नियमों के अधीन राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में नियुक्त नहीं किया जाता।

(2) यदि कोई व्यक्ति राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 का सदस्य है तो वह स्कीम में उस वेतन के आधार पर निरंतर अभिदाय करेगा जिसे वह आहरित करता यदि वह इन नियगों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाता।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

प्र[™] \ (नलिनीः कठोतिया)

शासन उप सचिव।

38/8010